

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।

विषय:- वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में अनुदान सं०-२२, लेखाशीर्षक-३०५४ (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण मद के अन्तर्गत अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों में आवंटन।

- संदर्भ:-
- (१) शासनादेश संख्या-१५०३/१११ (२)/१८-०३ (बजट)/२०१८ दिनांक-०९.०४.२०१८
 - (२) इस कार्यालय का आवंटन पत्र संख्या १६६/५५ बजट (मार्ग/सेतु अनुरक्षण)/२०१८-१९ दिनांक १९.०६.२०१८
 - (३) अधिशासी अभियन्ता, अ०ख०, लो०नि०वि० चकराता का पत्र संख्या १६२८/६ ए. दिनांक २५.१०.२०१८
 - (४) अधिशासी अभियन्ता, नि०ख० लो०नि०वि० दुगड़ड़ा का पत्र संख्या ४६६८/३ ए.सी. दिनांक ०१.११.२०१८
 - (५) अधिशासी अभियन्ता, नि०ख० लो०नि०वि० ऊखीमठ का पत्र संख्या २४४४/१९ ए.सी. दिनांक २७.०८.२०१८
 - (६) अधिशासी अभियन्ता, नि०ख०, लो०नि०वि० अल्मोड़ा का पत्र संख्या २५०७/१ ए.सी. दिनांक ३१.१०.२०१८
 - (७) अधिशासी अभियन्ता, प्रा०ख० लो०नि०वि० डीडीहाट का पत्र संख्या २२५१/५ ए.सी. दिनांक २५.१०.२०१८

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक ०९.०४.२०१८ (क्र०सं० १) द्वारा वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में अनुदान संख्या २२, लेखाशीर्षक ३०५४-०४-३३७-०३-०१-२४ (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों के अनुरक्षण मद में अवमुक्त धनराशि ₹ २२०.०० करोड़ के सापेक्ष योजनान्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों हेतु अधिशासी अभियन्ताओं के उपर्युक्त संदर्भित पत्रों (क्र०सं०-३ से ७ तक) द्वारा योजनान्तर्गत सूचित अवशेष धनावंटन की माँग के क्रम में सम्बन्धित कार्यदायी खण्डों को संलग्न विवरणानुसार अब कुल ₹ २९०.५० लाख (₹ दो करोड़ नब्बे लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्न वर्णित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

आवंटन की शर्त:- (१) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा उपरोक्तानुसार खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय, वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुमोदित नवीनीकरण कार्य उच्च प्राथमिकता एवं तात्कालिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(२) वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में कार्यवार/खण्डवार अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों में प्रदत्त अनुमोदित स्वीकृति से अधिक का व्यय, किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और न ही अनुमोदित धनराशि से अधिक के दायित्व सृजित किये जायेंगे अन्यथा व्ययाधिक्य एवं वित्तीय दायित्वों के अधिक सृजन हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी माने जायेंगे।

(३) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(४) स्वीकृत धनराशि का व्यय, उत्तराखण्ड प्रोक्तोरमेंट नियमावली २०१७ (संशोधित) में निर्धारित प्रक्रियाओं/निर्दिष्ट मानकों, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा टेण्डर विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(५) अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों के सम्पादन में गुणवत्ता तथा तकनीकी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ वित्तीय मितव्ययता सम्बन्धी प्रचलित नियमों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(६) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक ०९.०४.२०१८ में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(७) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के आय-व्ययक में अनुदान सं० २२, लेखाशीर्षक ३०५४ सड़क तथा सेतु-०४ जिला तथा अन्य सड़कें-राजस्व-३३७ सड़क निर्माण कार्य-०३ अनुरक्षण एवं मरम्मत ०१ प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण कार्य-२४ वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्न:- खण्डवार आवंटन (१ पृष्ठ)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि:- निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (१) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो०ओ०-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
- (२) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (३) वित्त नियंत्रक, कार्या० प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो०नि०वि० देहरादून। आवश्यक साख-सीमा निर्गत करने हेतु।
- (४) अधीक्षण अभियन्ता, नवमें/बारहवों/द्वितीय/तृतीय/सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग देहरादून/पौड़ी/नैनीताल/पिथौरागढ़/रुद्रप्रयाग।
- (५) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण /अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता/दुगड़ड़ा/ऊखीमठ/अल्मोड़ा/डीडीहाट।
- (६) आई०टी०सेल, कार्या० प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराये जाने हेतु।

संलग्न:- खण्डवार आवंटन (१ पृष्ठ)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
११/११/१८

पत्रांक:- 915 /55बजट(मार्ग/सेतु-अनुरक्षण)/2018-19 दिनांक 02.11.2018 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण मद के अन्तर्गत अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों में आवंटन।

अनुसं०-22, लेखाशीर्षक 3054-04-337-03-01-24 (राजस्व)

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्रम सं०	खण्ड का नाम	अनुमोदित लम्बाई (किमी०में)	अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों की लागत	वित्तीय वर्ष 2018-19 में नवीनीकरण कार्यों हेतु आवंटन		
				पूर्व आवंटन	अब आवंटन	कुल आवंटन (का० 5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	अस्थाई खण्ड,लो.नि.वि., चकराता	9.00	92.25	39.75	52.50	92.25
2	निर्माण खण्ड,लो.नि.वि., दुगड्डा	13.00	168.00	120.00	48.00	168.00
3	निर्माण खण्ड,लो.नि.वि., ऊखीमठ	2.00	24.00	10.00	14.00	24.00
4	निर्माण खण्ड,लो.नि.वि., अल्मोडा	13.00	156.00	130.00	26.00	156.00
5	प्रान्तीय खण्ड,लो.नि.वि., डीडीहाट	15.00	225.00	75.00	150.00	225.00
योग, (क्र०सं० 1 से 5 तक)		52.00	665.25	374.75	290.50	665.25

अब आवंटन ₹0 दो करोड़ नब्बे लाख पचास हजार मात्र

प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड

1.11.2018 1/11/18